बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

पत्रांक–3डी0 / आ0वि0(संधा)–01–02 / 2013– 1729

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 26.7.13

विषयः– आवासीय विद्यालय में साफ–सफाई एवं भोजनादि की व्यवस्था के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि आवासीय विद्यालय के छात्रावास के रख–रखाव, भोजनादि की व्यवस्था सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है। उपर्युक्त के आलोक में निम्नांकित आदेश दिया जा रहा है:–

1– छात्रावास परिसर एवं कमरों की साफ–सफाई प्रत्येक दिन तीन बार किया जाय। सफाईकर्मी द्वारा संधारित रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर बनाया जायेगा तथा किये गए सफाई का समय का भी उल्लेख किया जायेगा। उक्त रजिस्टर का सत्यापन प्रत्येक दिन प्रधानाध्यापक / छात्रावास अधीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा वरीय पदाधिकारी के भ्रमण के दौरान उक्त रजिस्टर पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

2– भोजन सामग्री के क्रय हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमिटि गठित की जाय, जिसके सदस्य प्रधानाध्यापक, छात्रावास अधीक्षक एवं दो छात्रायें रहेंगी। उक्त कमिटि अपने देख–रेख में 15 दिनों का सुखा अनाज यथा चावल, दाल, आटा, आलू, प्याज अपने समक्ष क्रय करेगी तथा क्रय करने के समय कमिटि इस बात का पूर्ण ध्यान रखेगी कि अनाज उच्च कोटि का क्रय किया जाय। उक्त अनाज का भण्डारण स्टील के डब्बा में किया जायेगा तथा किसी भी हालत में अनाज का भण्डारण बोरा में नहीं किया जायेगा।

यदि भोजन उपलब्ध कराये जाने का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा हो उक्त स्थिति में भी गठित कमिटि के समक्ष अनाजों का क्रय किया जायेगा तथा उपरोक्त लिखित आदेश के अनुरूप अनाजों का भंडारण किया जायेगा।

3– भण्डार गृह में भंडार पंजी का संधारण किया जायेगा, जिनमें इन सामग्रियों का पूर्ण ब्यौरा संधारित किया जायेगा। भंडार पंजी में इस बात का भी उल्लेख किया जायेगा कि उपर्युक्त सामग्रियों का क्रय क्रय समिति के समक्ष किया गया है। भंडार पंजी का संधारण जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा संधारित किये जा रहे (Format) प्रपत्र में संधारण किया जायेगा।

4– खाद्य तेल का क्रय उच्च कोटि के आई0एस0आई0 मार्का का किया जायेगा तथा इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि एक्सपाईरी डेट का खाद्य तेल नहीं है तथा क्रय किये गये दूकान से रसीद प्राप्त किया जायेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा अपनाई गई प्रकियों के अनुरूप इस संबंध में प्रकिया अपनाई जायेगी।

5– रसोईघर का साफ–सफाई हर बार भोजन बनाने के पश्चात् किया जायेगा तथा खाना बनाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि रसोईघर में पूर्ण रूप से रोशनी की व्यवस्था हो तथा रसोईघर की खिड़की में जाली लगाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि कीटाणुओं का प्रवेश न हो सके। खाना बनाने के बाद साफ कपड़ा से खाना को ढ़क कर रखा जाय तथा किसी भी हालत में एक शाम का खाना का प्रयोग दूसरे शाम के खाना में नहीं किया जायेगा। जिस स्थल पर बच्चे–बच्चियों के खाना की व्यवस्था है, वह स्थल की सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाय तथा खाना खाने के समय पूर्ण रोशनी की भी व्यवस्था किया जाय। भोजन गृह में कीड़ा मारने वाला मशीन (Insect killer machine) उपयोग किया जायेगा।

6– बच्चे–बच्चियों को फिल्टर का पानी की व्यवस्था किया जाय। अप्रायः स्थिति में डाईरेक्ट नल चलाकर किया जाय। बच्चे–बच्चियों को आर0ओ0 सिस्टम के द्वारा पेयजल की व्यवस्था किया जाय। आर0ओ0 सिस्टम नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में सामान्य फिल्टर सिस्टम का उपयोग कर पेयजल की व्यवस्था किया जायेगा।

7– भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– भोजन तैयार होने के बाद छात्रावास अधीक्षक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेंगे कि खाना अच्छी गुणवत्ता वाला है तथा छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक बच्चों के साथ–ही खाना खायेंगे। समय–समय पर जिला कल्याण पदाधिकारी, क्षेत्रीय उपनिदेशक (कल्याण) एवं मुख्यालय के पदाधिकारी भ्रमण के दौरान यथा संभव छात्रावास के बच्चों के साथ खाना–नाश्ता करेंगे। इस बात को सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी हालत में रसोई घर या भण्डार गृह में अनाज के सिवा कोई भी सामग्री नहीं रहेगी।

9– रसोइघर, भोजन गृह एवं छात्रावास प्रवेश स्थल पर सी–सी कैमरा लगाया जायगा तथा समय–समय पर प्रधानाध्यापक द्वारा Record किये गए दृश्यों का समीक्षा किया जायेगा।

10– इस बात को सुनिश्चित किया जाय कि अभिभावक को अपने बच्चों से मिलने का दिन एवं समय निर्धारित किया जाय तथा अभिभावक के मिलने के लिये अलग से कमरों की व्यवस्था की जाय। छात्रों से मिलने के लिए मात्र माता–पिता ही प्राधिकृत रहेंगे तथा विशेष परिस्थिति में माता–पिता के अनुशंसा पर किसी अन्य सदस्य से बच्चों को मिलने दिया जायेगा। छात्रावास परिसर में किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश किसी भी हालत में नहीं किया जायेगा।

11– कोई भी छात्र/छात्राओं को सामान्य परिस्थिति में छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा विशेष परिस्थिति में प्रधानाध्यापक से अनुमति लेने के पाश्चात् ही छात्रावास छोड़ेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा इस संबंध में एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें अवकाश लेने के कारण तिथि एवं अन्य प्रविष्टी किया जायेगा।

इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव। 24/7/13

Letter.Sec(Ajit)-95